न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री मंगराज पुत्र पुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी अरठ

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः–09.09.2019

प्रकरण संख्या 03/19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद पीपलाद के ख.न 1424 रकबा 0.02 है भूमि किस्म गै.मु.गौचर में वाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। जो अदम तामील प्राप्त हुआ । अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी किया गया जो अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी आज दिनांक 09.09.2019 को उपस्थित हुआ तथा अपना जवाव प्रस्तुत किया जिसे शामिल प्रत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी रिपोर्टानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 14 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02 है. भूमि के 0.28 रूपये लगान का 50 गुणा 14/– अक्षरे चौदह रूपये बतार जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर (नागौर)

तहसीलदार परबतसर

Scanned by CamScanner